रोजगार कार्यालयों द्वारा निःशक्त आवेदकों को दी जा रही सुविधायें

निःशक्त आवेदक–

केवल वही आवेदक निःशक्त आवेदक की श्रेणी में आते हैं जिनकी निःशक्तता कम से कम 40 प्रतिशत हो ।

पंजीयन–

1. स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय–

स्थानीय जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दष्टिहीन/अस्थिबाधित एवं मूकबधिर/नकारात्मक कुष्ठ रोग पीड़ित निःशक्त आवेदक अन्य आवेदकों के समान ही स्थानीय रोजगार कार्यालय में स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं । तकनीकी/वैज्ञानिक एवं प्रदेश स्तर की गतिशीलता रखने वाले आवेदकों को पंजीयन फार्म की द्वितीय प्रति विशेष रोजगार कार्यालय 'अपंगों के लिये' जबलपुर को संधारण के लिये भेजी जाती है ।

2. विशेष रोजगार कार्यालय अपंगों के लिये जबलपुर–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विशिष्ठ रूप से निःशक्त आवेदकों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय ;अपंगों के लियेद्ध की स्थापना जबलपुर, मध्यप्रदेश में की गई है । इस कार्यालय में जबलपुर जिले के निवासी निःशक्तजनों का पंजीयन जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाता है एवं म0प्र0 राज्य के अन्य रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध तकनीकी श्रेणी के प्रदेश स्तर की गतिशीलता रखने वाले आवेदकों के पंजीयन फार्मों की द्वितीय प्रति दस कार्यालय में संधारित की जाती है ।

नवीनीकरण–

सामान्य आवेदकों के समान ही निःशक्त आवेदकों के पंजीयन का नवीनीकरण पंजीयन तिथि 3 वर्ष पूर्व होने पर संबंधित रोजगार कार्यालय में कराना आवश्यक है ।

सम्प्रेषण–

समस्त रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित होने वाली प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध जीवित पंजी पर उपलब्ध होने पर निर्देशानुसार उपयुक्त एवं निर्धारित योग्यता के 2 या 3 निःशक्त आवेदकों के नाम अन्य सामान्य आवेदकों के साथ भेजे जाते हैं।निःशक्त आवेदकों के नाम सम्प्रेषित करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ कार्य के लिये न्यूनतम शारीरिक क्षमता/उपयुक्तता के पश्चात् ही पंजीयन वरिष्ठता को विचार में लिया जाता है ।

निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर भी इसी प्रकार सम्प्रेषण की कार्रवाई की जाती है ।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों के लिये) जबलपुर–

निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित वैज्ञानिक/तकनीकी श्रेणी की रिक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय(अपंगों के लिये) जबलपुर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये स्थानीय रोजगार कार्यालय है । अर्थात् तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी की ऐसी रिक्तियां जो निःशक्तों के लिये आरक्षित हैं, विशेष रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी एवं मध्यप्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालयों से प्राप्त तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी के पंजीयन पत्रकों के आधार पर संधारित जीवित पंजी से नियमानुसार सम्प्रेषण की कार्रवाई की जायेगी ।

व्यावसायिक मार्गदर्शन–

विशेष रोजगार कार्यालय एवं अन्य रोजगार कार्यालयों द्वारा निःशक्त आवेदकों को पंजीयन के समय सामान्य मार्गदर्शन दिया जाता है ।

इन कार्यालयों द्वारा अन्य विभागों एवं समाज सेवी संगठनों के सहयोग से निःशक्त आवेदकों के लिये रोजगार/स्वरोजगार मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, जहां आवेदकों को उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाएं/स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है ।

निःशुल्क मेडिकल प्रपत्र वितरण–

विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र निःशुल्क वितरित किये जाते हैं ।

राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में निःशक्त आवेदकों को प्रदान की गई सुविधायें एवं छूट–

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की अधिकतम आयु सीमा में निःशक्त आवेदकों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है ।
2. केन्द्र शासन द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में नेत्रहीन, मूक–बधिर तथा अस्थिरोग से पीड़ित व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा 6 प्रतिशत स्थान निःशक्त आवेदकों के लिए सुरक्षित किए गए हैं ।
3. ऐसे आवेदक जो निःशक्तता के कारण टाईपिंग करने में असमर्थ हैं उन्हें टायपिंग की अनिवार्य अर्हता से छूट प्रदान की गई है ।
4. तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं की भर्ती के लिए निःशक्त उम्मीदवारों को ''100'' में 10 अंक अधिक दिए जाते हैं ।
5. जिला मेडिकल बोर्ड में निःशक्त आवेदकों की निःशुल्क जॉच की जाती है ।
6. शासन द्वारा संचालित स्व–रोजगार योजनाओं में निःशक्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है ।